

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-16/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत
श्री रामसेवक उरौव—विक्रेता
प्रति
शांति कुंवर—क्रेता

-आदेश-

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री रामसेवक उरौव, पिता-स्व० कोमन उरौव, ग्राम-पिण्डरा, पोस्ट-ओखरगाडा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता शांति कुंवर, पिता-श्री रामसेवक उरौव, पति-स्व० रजित खलखो, ग्राम-पिण्डरा, पोस्ट-ओखरगाडा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटागापुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जांच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 481/दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता कोमल उरौव वगैरह के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के धांगर उरौव (अनुसूचित जनजाति) एवं क्रेता जाति के उरौव (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मेराल एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के परमात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त है प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के दखल-कब्जे में है।


अतः अंचल अधिकारी, मेराल के जांच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक/विक्रेता श्री रामसेवक उरौव, पिता-स्व० कोमन उरौव, ग्राम-पिण्डरा, पोस्ट-ओखरगाडा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने क्रेता शांति कुंवर, पिता-श्री रामसेवक उरौव, पति-स्व० रजित खलखो, ग्राम-पिण्डरा, पोस्ट-ओखरगाडा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटागापुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

-भूमि का विवरण-


ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
पिण्डरा	244	22	387	0.87	उ०-सोमर उरौव, द०-विनोद उरौव, पू०-बसंत विश्वकर्मा, प०-सइक,
			547	1.00	उ०-अहमद अंसारी, द०-विनोद उरौव, पू०-माणदेव मेहता, प०-विफई उरौव
कुल रकबा-				01.87	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अपर निकायक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं सशोधित।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा



अपर समाहर्ता,
गढ़वा